मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा ९ का संशोधन.

३. धारा १४ का संशोधन.

४. धारा १८ का संशोधन.

५. धारा २६ का संशोधन.

६. धारा २८-क का अन्त:स्थापन.

७. धारा ३४ का संशोधन.

८. अनुसूची-१ का संशोधन.

९. अनुसूची-२ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०१६

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९ में, उपधारा (१) में पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-२ के भाग तीन-क में विनिर्दिष्ट मालों के संबंध में, वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर न्यूनतम कर की राशि नियत कर सकेगी."

धारा १४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) में,—

(एक) उपखण्ड (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(१) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय; या

(१क) अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय, या";

(दो) उपखण्ड (६) में, मद (दो) को मद (तीन) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित मद (तीन) के पहले निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(दो) उपखण्ड (१क) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो कि ऐसे विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) के अधीन देय केन्द्रीय विक्रय कर की रकम के बराबर हो;".

धारा १८ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १८ में, उपधारा (४) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (चार) में, उप भाग (४) में, अंक तथा शब्द "१.५ प्रतिशत" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "२ प्रतिशत" स्थापित किए जाएं.

धारा २६ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा २६ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) शब्द "केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" के स्थान पर, शब्द "व्यक्ति" स्थापित किया जाए;

(ख) पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए, और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी.";

(दो) उपधारा (२) में,—

(क) शब्द "दो प्रतिशत" के स्थान पर, शब्द "तीन प्रतिशत" स्थापित किए जाएं;

(ख) तृतीय परन्तुक में, शब्द "भी" के स्थान पर शब्द "और" स्थापित किया जाए और पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि किसी ठेकेदार के रजिस्ट्रीकृत व्यापारी होने की दशा में, कटौती दो प्रतिशत की दर से की जाएगी.";

(तीन) उपधारा (८) के पश्चात्, स्पष्टीकरण में,—

(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (२)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (१) और (२)" स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित किसी विधि के अधीन गठित कोई प्राधिकरण जिसमें ग्राम पंचायत, कोई जनपद पंचायत या कोई जिला पंचायत सम्मिलित है,";

(ग) खण्ड (पांच) में, पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं, अर्थात्:—

"(छह) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त दंत चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से सहबद्ध चिकित्सालय;

(सात) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त चिकित्सा महाविद्यालय तथा ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों से सहबद्ध चिकित्सालय;

(आठ) समस्त मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय".

धारा २८-क का अंत:स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा २८ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"२८-क. कतिपय मामलों में राजस्व सुरक्षित करने हेतु अनंतिम कुर्की.

(१) यदि किसी कार्यवाही में, किसी जांच के दौरान, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति या व्यापारी के कारबार से संबंधित कोई निरीक्षण या जांच भी सम्मिलित है और जहां कर की किसी राशि के अपवंचन का संदेह है और आयुक्त को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि राजस्व के हितों को सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति या व्यापारी से कोई धन, जो कि शोध्य हो या जो किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को शोध्य हो जाए या किसी ऐसे धन को, जो ऐसे व्यक्ति या व्यापारी की ओर से या उसके लिए, कोई अन्य व्यक्ति धारण करता है या तत्पश्चात् धारण करे, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा:

परन्तु आयुक्त अपने आदेश में धन की वह रकम, जिसको कि आदेश लागू होता है, विनिर्दिष्ट करेगा:

परन्तु यह और कि आयुक्त, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा, यदि व्यापारी आयुक्त को ऐसे समय में, ऐसी कालावधि के लिए, जो कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, कोई बैंक गारन्टी प्रस्तुत कर देता है.

(२) प्रत्येक ऐसी अनंतिम कुर्की, उपधारा (१) के अधीन जारी किए गए आदेश की तामील होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगी:

परन्तु आयुक्त लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उपरोक्त कालावधि को ऐसी और कालावधि या कालावधियों तक, जैसा कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगा, तथापि, इस प्रकार विस्तारित कुल कालावधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(३) इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग स्वयं आयुक्त द्वारा या क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले अपर आयुक्त द्वारा या यथास्थिति, किसी ऐसे उपायुक्त द्वारा, जिसे कि आयुक्त ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की हों, किया जाएगा.

(४) जहां अनंतिम रूप से किसी धन को कुर्क करते समय उपधारा (१) के अधीन ऐसा आदेश किसी व्यक्ति को तामील किया जाता है, तब ऐसा व्यक्ति इस प्रकार कुर्क की गई धनराशि आयुक्त को संदत्त करने का व्यक्तिगत रूप से दायी होगा जब तक की कुर्की का आदेश प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता या प्रभावहीन नहीं हो जाता.

(५) यदि उक्त व्यक्ति या व्यापारी, यथास्थिति, उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट आदेश या उपधारा (२) के अधीन कालावधि विस्तारित करने के आदेश की तामीली की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर आयुक्त को विहित प्ररूप में कोई आवेदन करता है तो आयुक्त, ऐसे व्यक्ति या व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उसे प्रतिसंहृत कर सकेगा.

(६) उपधारा (५) के अधीन पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अपील, अपील बोर्ड को की जाएगी तथा धारा ४६ के अन्य सभी उपबंध तद्नुसार लागू होंगे.''.

धारा ३४ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (१) में,—

(एक) शब्द, कोष्ठक तथा अंक ''धारा २० की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट'' का लोप किया जाए;

(दो) परन्तुक में, खण्ड (दो) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(तीन) किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने संबंधी विनिश्चिय ऐसा आवेदन फाइल करने की तारीख से ६० दिन के भीतर किया जाएगा.''.

अनुसूची-१ का संशोधन.

८. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक ४क के सामने, कालम (२) में, शब्द ''बाईसिकल्स'' के स्थान पर, शब्द ''बाईसिकल्स जिनका विक्रय मूल्य (अधिकतम खुदरा मूल्य) दस हजार रुपए से अधिक नहीं है'' स्थापित किए जाएं;

(दो) अनुक्रमांक ५४ के सामने, कालम (३) में विद्यमान शर्त को "(एक)" के रूप में क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार क्रमांकित शर्त (एक) के पश्चात् निम्नलिखित शर्त अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(दो) जब केन्द्रीय पुलिस केंटीन द्वारा सीधे अथवा सब्सिडियरी केन्टीन के माध्यम से सीमा सुरक्षाबल को, सीमा सुरक्षा बल के सेवारत कार्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये विक्रय किया जाए और उनका विक्रय मूल्य केन्द्रीय प्रशासनिक समिति (सीएसी) द्वारा नियत मूल्य से अधिक न हो.";

(तीन) अनुक्रमांक ८९ के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां, अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"९०. बायो इनसेक्टिसाइड्स और बायो पेस्टीसाइड्स

९१. सूखे बेर तथा बेर पाउडर

९२. समस्त प्रकार के इलेक्ट्रिक/बैटरी चलित दुपहिया, कार तथा रिक्शा

९३. मिल्किंग मशीन

९४. जैव अनाश्य सामग्री से बने बैग तथा लिफाफे".

अनुसूची-२ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ में,—

(एक) भाग-दो में,—

(क) अनुक्रमांक ५ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ख) अनुक्रमांक ११-ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(ग) अनुक्रमांक १४ के सामने, कालम (२) में, शब्द "गैस स्टोव, गैस गीजर" के स्थान पर शब्द "गैस स्टोव" स्थापित किए जाएं;

(घ) अनुक्रमांक २० क के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"२० ख. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिये केन्द्रीय पुलिस केन्टीन को, केन्द्रीय पुलिस केन्टीन द्वारा जारी इस प्रमाण-पत्र के विरूद्ध विक्रय किया गया कि क्रय किया जा रहा माल सीमा सुरक्षा बल के सेवारत कार्मिकों तथा सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व सैनिकों को विक्रय के लिये है.

(ङ) अनुक्रमांक २९ के सामने, कालम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"कागज से बने कप, गिलास, प्लेटें, बाउल, थाली, कटोरी और दोना पत्तल";

(च) अनुक्रमांक ३९क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(छ) अनुक्रमांक ५५ के सामने, कालम (२) में मद २०५ तथा २०६ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"२०५. माल की पैकिंग के लिये सभी प्रकार के बैग तथा थैले (एच डी पी ई / एल डी पी ई / पी पी से बुने हुए थैले व बैग, पोलिथिन बैग, प्लास्टिक बैग और थैलों को छोड़कर) तथा माल की पैकिंग के लिये प्लास्टिक से बनी वस्तुएं";

(ज) अनुक्रमांक ५६क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;

(झ) अनुक्रमांक ११० के पश्चात् सम्बन्धित कालमों में निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"१११.	सोया मिल्क,	५
११२.	बायोफ्यूल आधारित धुंआरहित स्टोव, गैस स्टोव तथा इन्डक्शन कुक टाप के पुर्जे तथा उपस्कर	५
११३.	बाइसिकल जिनका विक्रय मूल्य (अधिकतम खुदरा मूल्य) दस हजार रुपए से अधिक हो और उसके पुर्जे (जिसमें टायर तथा ट्यूब तथा उपस्कर सम्मिलित हैं)	५
११४.	डायलिसिस मशीन तथा डायलिसिस कन्ज्यूमेबल्स	५";

(दो) भाग-चार में, अनुक्रमांक ४ के पश्चात्, सम्बन्धित कालमों में निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"४-क	"भारी माल वाहक यान जिनका कुल वजन १२००० किलोग्राम से अधिक हो	१४".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०१६-१७ के लिए विधान-सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के भाग दो में अंतर्विष्ट कर प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु तथा कतिपय अन्य मामलों जैसे अनुसूची-२ के भाग तीन-क में विनिर्दिष्ट मालों के सम्बन्ध में वजन, मात्रा, माप या इकाई के आधार पर कर की न्यूनतम राशि नियत करने के लिये उपबंध करने हेतु मध्यप्रदेश वेट अधिनियम २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन किए जाने हैं तथा अधिनियम के कतिपय अन्य उपबंधों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख १६ मार्च, २०१६

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१६ के जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं उनका विवरण निम्नानुसार है:—

१. खण्ड-२ द्वारा अधिसूचना जारी करके वस्तुओं के नाम, वजन या (वाल्यूम) के आधार पर कर आरोपित किये जाने;

२. खण्ड-५ द्वारा किन्हीं व्यक्तियों को इस धारा के अधीन लगने वाले कर से छूट दिये जाने; तथा

३. खण्ड-६ द्वारा परिक्षेत्रीय अपर आयुक्त/उपायुक्तों को आयुक्त द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन किए जाने

के संबंध में नियम बनाये जाएंगें, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) से उद्धरण

* * *

धारा ९ (१)अनुसूची २ में विनिर्दिष्ट किसी माल पर कर ऐसी दर से, जो उसके कॉलम (३) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, उद्ग्रहीत किया जायेगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिए दायी व्यवसाई की कर योग्य कुल राशि (टेक्सेबल टर्न ओवर) पर उद्ग्रहीत किया जायेगा.

धारा १४ (१) * * *

(क) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची-२ के (भाग ३ और भाग ३क) में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल, जो अनुसूची-२ में विनिर्दिष्ट है, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से उसे आगत कर के भुगतान के पश्चात्,—

(१) मध्यप्रदेश राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय; या

(६) * * *

(दो) उपखण्ड [(५-क), (५-ख) और (६)] में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो ऐसे माल के क्रय मूल्य, आगत कर को छोड़कर के ४ प्रतिशत से अधिक हैं, का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी की विहित की जाये, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

धारा १८ (४) * * * *

(४) (ऐसी दर से जैसी कि विहित की जाये जो कि १.५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी) ब्याज उस तारीख से जिसको कि ऐसा देय कर शोध्य हो गया था उसके भुगतान की तारीख तक या कर निर्धारण आदेश की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, चुकाने का दायी होगा.

* * * * *

धारा २६ (१) कोई भी व्यक्ति, जो किसी व्यापारी को, ऐसे व्यापारी तथा केन्द्र सरकार या (किसी राज्य सरकार या किसी अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (जो इसमें इसके पश्चात इस धारा में क्रेता के नाम से निर्दिष्ट है) के बीच हुई किसी संविदा के अनुसरण में किसी माल के विक्रय या प्रदाय के प्रतिफलस्वरूप किसी राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, ऐसी राशि को उस व्यापारी के खाते में जमा करने के पूर्व या उसका नगद में या चैक या ड्राफ्ट जारी करने या किसी अन्य रीति से भुगतान करने के पूर्व, ऐसी रकम की, जो क्रेता द्वारा व्यवसाई को कर के तौर पर देय रकम के बराबर है, जहाँ ऐसी बिल की कुल रकम पांच हजार रुपये से अधिक है, कटौती करेगा, (ऐसी रकम व्यापारी द्वारा अपने बिल में पृथकतः दर्शाई गई हैं या नहीं) और उसे ऐसी रीति में राज्य सरकार को चुकाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(२) ऐसे संविदा के मूल्य के मद्दे दो प्रतिशत की दर से या किसी ठेकेदार के संबंध में, जिसने धारा ११-क के अधीन प्रशमन हेतु विकल्प लिया है, एकमुश्त हेतु विहित दर का भुगतान करने के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन ठेकेदार द्वारा देय कर के मद्दे रकम की कटौती करेगा.

(८) . . . . . .

स्पष्टीकरण—उपधारा (२) के प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" से अभिप्रेत है,—

(दो) . . . . . .

(तीन) नगर पालिकाऐं एवं नगर पालिक निगम,

(पांच) पब्लिक लिमिटेड कंपनी.

धारा २८ : वसूली की विशेष रीति

* * *

धारा ३४ (१) जहॉ धारा २० की उपधारा (४) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यापारी की किसी कालावधि के लिए कर निर्धारण/पुन: कर निर्धारण करने की कार्यवाही में आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हो, वहाफ व्यापारी, ऐसे आदेश की तामील या जानकारी की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्धारण प्राधिकारी को आदेश अपास्त करने के लिये तथा उस मामले को पुन: आरंभ करने के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक नियत तारीख को उपसंजात होने से पर्याप्त कारणवश निवारित हो गया था, तो वह उस आदेश को, यथाविहित उच्चतर प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, अपास्त कर सकेगा तथा ऐसे मामले को सुनवाई के लिए पुन: आरम्भ कर सकेगा:

अनुसूची—१

४क. बाइसिकल्स, ट्राइसिकल्स, साइकल रिक्शा तथा उनके पुर्जे (जिसमें टायर तथा ट्यूब सम्मिलित हैं) तथा उनके उपसहायक (एसेसरीज)

५४ केन्टीन स्टोर्स — जब केन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा सीधे अथवा रेजिमेंटल या यूनिट रन केन्टीन के माध्यम से सेवारत सैनिक कर्मिकों और भूतपूर्व सैनिकों को विक्रय किया जाए और उनका विक्रय मूल्य भारत के क्वार्टर मास्टर जनरल द्वारा नियत मूल्य से अधिक न हो.

८९ घुंघरू, घंटा, घडियाल, झांझ, मंजीरा, त्रिशूल, कमण्डल तथा देवी-देवताओं की मूर्ति (सोने, चॉदी और अन्य उत्तम धातुओं से निर्मित को छोड़कर).

अनुसूची—२

भाग—दो

५ख.	सभी प्रकार के बिजली/बैटरी चलित दुपहिया, जिनमें इन्टरनल कमबस्चन इंजिन का उपयोग नहीं होता है	५
११ख.	बैटरी चलित कार और बैटरी चलित रिक्शा	५
१४	बायो फ्यूल आधारित धुआ रहित चूल्हा, गैस गीजर एवं इंडक्शन कुकटाप	५
२०क.	किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा केन्टीन स्टोर्स टिपार्टमेन्ट को डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के विरुद्ध विक्रय किया गया केन्टीन स्टोर्स.	४

२९.	पेपर तथा प्लास्टिक के बने [कप, गिलास, प्लेट कटोरी (दोना-पत्तल) और चम्मच]	५
३९क	कांच का दर्पण	५
५५	इण्डस्ट्रीयल इनपुट तथा संवेष्ठन सामग्री जैसे—	५
	. . . . .	
२०५	माल की पैकिंग के लिए सभी प्रकार के बैग्स तथा सैक्स जिसमें एचडीपीई, एलडीपीई तथा पीपी वूवन सैक्स सम्मिलित हैं.	
२०६	माल की पैकिंग के लिए प्लास्टिक की वस्तुऐं	
५६क.	मिल्किंग मशीन	५
११०	स्थानीय महत्व के माल जो अनुसूची १ में सम्मिलित नहीं है	५
	. . . . .	
२७.	मैखला चद्दर	

भाग-चार

४	टेलिविजन	१५

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.